

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-मार्च, 2015 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2015 (फाल्गुन 4, 1936)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3 - 49 - 2014 - तेरह, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का उन्तीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, अजय सिंह, सदस्य, प्रदेश में अमानक बीज प्रदाय करने वाली कंपनियों पर कार्यवाही न होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य, इंदौर में घटिया स्तर के विद्युत मीटर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री इंदरसिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के -

(क) कालापपीपल में न्यायालय की स्थापना किये जाने,

(ख) ग्राम अरनिया में पुलिया निर्माण एवं शिवपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम मादलाखेड़ी से इंदिरा आवास तक सड़क एवं पुलिया निर्माण किये जाने,

(घ) स्वास्थ्य केन्द्र पोलायकला एवं कालापपीपल में सुविधाजनक पोस्टमार्टम कक्ष निर्माण किये जाने,

(ङ.) मगराखेड़ी मुख्य मार्ग से तेलिया मंदिर तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम लसुडिल्या गौरी धोलपुर तक सड़क निर्माण किये जाने,

(छ) ग्राम अरनिया में सीमेंट कांक्रीट सड़क तक निर्माण किये जाने,

(ज) ग्राम अपलाय, डाबरी, गुर्दाखेड़ी, बासला आदि ग्रामों में विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किये जाने,

(झ) ग्राम पोचानेर से शेरपुरा तक सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण किये जाने,

(ञ) ग्राम सालिया-देवली मार्ग पर सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण किये जाने,

(ट) ग्राम मोरटा केवडी से हिमालेखर महादेव मंदिर तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ठ) ग्राम बमुलिया मुध्दाली से घनसोदा तक सड़क एवं पुल स्वीकृत किये जाने,

(ड) ग्राम लसुडिल्या पातला बोगी के मध्य सड़क एवं पुलिया निर्माण किये जाने,

(ढ) पोलायकला में महाविद्यालय भवन निर्माण किये जाने,

(ण) ग्राम अकोदी से झुण्डी जोड़ तक सड़क निर्माण किये जाने,

- (2) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, बड़वाह जिले के-
- (क) ग्राम मोगवां से डलयाखेड़ी तक के मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
  - (ख) तहसील सनावद कस्बा बाड़ियों में राजस्व का टप्पा कार्यालय स्वीकृत किये जाने,
  - (ग) ग्राम फनगांव से काकरिया तक के मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
- (3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के-
- (क) ग्राम टिकरी मार्ग का डिवाइडर के साथ चौड़ीकरण किये जाने,
  - (ख) गोपालदास मार्ग का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर के साथ नाली निर्माण किये जाने,
  - (ग) रिंग रोड बनाये जाने,
  - (घ) गोपालदास बांध का सौंदर्यीकरण एवं वोट क्लब स्थापित किये जाने,
- (4) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के-
- (क) बंगाली कॉलोनी में रहवासियों को स्थायी पट्टे दिये जाने,
  - (ख) ग्राम नलवा में हा.से. स्कूल खोले जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

**5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण**

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

**भोपाल :**  
**दिनांक : 22 फरवरी, 2015**

**भगवानदेव ईसरानी**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा**